

भाग-IV

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	वन मंडल अनूपपुर के वन पश्चिम कोतमा के विभिन्न वनकक्षों के रकबा 314.743 हे. वनभूमि एवं ग्राम फुलकोना, डूमरकछार तथा भलमुडी के विभिन्न खसरों के रकबा 39.515 हे. राजस्व वनभूमि कुल 354.258 हे. वनभूमि में झिरिया वेस्ट ओपन कास्ट पद्धति से कोयला उत्खनन कार्य करने की मेसर्स एस.ई.सी.एल. को अनुमति देने की अनुशंसा निम्नानुसार की जाती है:- वन मंडल अनूपपुर के प्रस्तावित रकबा 354.258 हे. वनक्षेत्र में से वन कक्ष क्र. 492 रकबा 1.734 हे., कक्ष क्र. 493 रकबा 2.437 हे., कक्ष क्र. 498 रकबा 1.396 हे. तथा कक्ष क्र. 502 रकबा 1.576 हे. कुल रकबा 7.143 हे. वनक्षेत्र खनन से मुक्त रखने व इस वनक्षेत्र को सेफ्टी जोन क्षेत्र के रूप में उपयोग करने तथा शेष वनक्षेत्र 343.874 हेक्टेयर में कोयला उत्खनन एवं 3.241 हेक्टेयर रोड निर्माण के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	----	---

तिथि: 07 / 03 / 2020

स्थान: भोपाल


 (सुनील अग्रवाल)
 भा.व.सं.
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
 मध्यप्रदेश, भोपाल